

न्यायालय :- एन.आर. परवार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
भीकनगौर न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश जिला मण्डल अवर न.प्र.


बीकनगौर दिनांक 10.08.2020

**:: सूचना ::**

कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुये माननीय उच्च न्यायालय से जारी दिशा निर्देश के पालन में एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन में भारत में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुये इस न्यायालय के सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में दिनांक 10.08.2020 से दिनांक 14.08.2020 तक नियत प्रकरणों, जमानत अंतिम तर्क एवं जरूरी मामलों को छोड़कर शेष समस्त मामलों की सुनवाई नहीं होगी। दिनांक 10.08.2020 से दिनांक 14.08.2020 तक पूर्व से नियत प्रकरणों में निम्ननुसार तिथियाँ नियत की जाती हैं।

नियत दिनांक	सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु अगामी दिनांक
10.08.2020	07.09.2020
11.08.2020	08.09.2020
13.08.2020	09.09.2020
14.08.2020	10.09.2020

**नोट:-** अंतिम तर्क के मामलों को छोड़कर शेष मामलों की सुनवाई की तिथि उपरोक्तानुसार नियत की गयी है।

  
(एन.आर. परवार)  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
बीकनगौर के न्यायालय के अतिरिक्त  
न्यायाधीश जिला मण्डल अवर (न.प्र.)

न्यायालय:-श्रीमति योत्सना आर्य, अति० व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 भीकनगांव,  
प०निमाड ग्राम न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय भीकनगांव, जिला खरगोन पश्चिम  
निमाड (म०प्र०)

जावक क्रमांक..... /2020

भीकनगांव दिनांक 10-08-2020

कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय से जारी दिशा निर्देश के पालन में एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन में भारत में लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए इस न्यायालय के सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में दिनांक 10.08.2020 से दिनांक 4.08.2020 तक नियत प्रकरणों जमानत, अंतिम तर्क एवं जारी जरूरी मामलों को छोड़कर शेष समस्त मामलों की सुनवायी नहीं होगी। दिनांक 10.08.2020 से दिनांक 14.08.2020 तक पूर्व से नियत प्रकरणों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की जाती हैं:-

नियत दिनांक	आपराधिक प्रकरणों की सुनवायी हेतु आगामी दिनांक	सिविल प्रकरणों की सुनवायी हेतु आगामी दिनांक
10-08-2020	28-08-2020(ग्राम न्यायालय)	-
11-08-2020	24-09-2020	15-09-2020
13-08-2020	26-09-2020	16-09-2020
14-08-2020	04-09-2020(ग्राम न्यायालय)	-

**नोट:-** अंतिम तर्क के मामलों को छोड़कर शेष मामलों की सुनवायी की तिथि उपरोक्तानुसार नियत की गई है।

(श्रीमति योत्सना आर्य)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं  
ग्राम न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय  
भीकनगांव, प०निमाड

क्र. 80/10-8-2020

न्यायालय- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 भीकनगांव जिला मण्डलेश्वर (म.प्र.)  
(समक्ष-फरहान एम. कुरैशी)

जा0क0 / 2020

भीकनगांव, दिनांक 10.08.2020

कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय से जारी दिशा निर्देश के पालन में एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन में भारत में लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए इस न्यायालय के सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में दिनांक 10.08.2020 से दिनांक 14.08.2020 तक नियत प्रकरणों जमानत, अंतिम तर्क एवं जरूरी मामलों को छोड़कर शेष समस्त मामलों की सुनवायी नहीं होगी। दिनांक 10.08.2020 से दिनांक 14.08.2020 तक पूर्व से नियत प्रकरणों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की जाती है :-

नियत दिनांक	सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवायी हेतु आगामी दिनांक
10.08.2020	29.09.2020
11.08.2020	05.10.2020
13.08.2020	06.10.2020
14.08.2020	07.10.2020

**नोट :-** अंतिम तर्क के मामलों को छोड़कर शेष मामलों की सुनवाई की तिथि उपरोक्तानुसार नियत की गई है।

आज्ञा से

(फरहान एम. कुरैशी)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02

भीकनगांव जिला मण्डलेश्वर (म.प्र.)